कार्यालय राजस्थान फॉर्मेसी कौंसिल

राजकीय चिकित्सालय परिसर, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर.302001

क्रमाकः आरपीसी / 2024 / 11078 दिनांक 30/07/2024

—:: कार्यालय आदेश ::—

राजस्थान फार्मेसी कौंसिल, जयपुर कार्यालय में फार्मासिस्ट पंजीकरण से सम्बंधित नवीन आवेदन दिनांक 18.07.2024 से कौंसिल के ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदक के आधार नम्बर आधारित OTP सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त स्वीकार किये जा रहे है। जिसमें आवेदक के आधार कार्ड में अंकित विवरण स्वतः ही ऑनलाइन पोर्टल पर प्रदर्शित होगा तथा आधार कार्ड में अंकित आवेदक का नाम एवं पिता का नाम कौंसिल द्वारा जारी फार्मासिस्ट पंजीकरण प्रमाण–पत्र में दर्ज किया जायेगा।

अतः इस सम्बंध में समस्त आवेदनकर्त्ताओं को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने आधार कार्ड में अंकित विवरण को सैकण्डरी कक्षा की अंकतालिका में अंकित विवरण के अनुसार दुरस्त करवाने के उपरान्त कौंसिल के ऑनलाइन पोर्टल पर नवीन पंजीकरण से सम्बंधित आवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे।

कूटरचित / फर्जी / जाली दस्तावेज के आधार पर फार्मासिस्ट पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले आवेदकों के विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

भवदीय

30/07/24

(नरेन्द्र कुमार रैगर)
रजिस्ट्रार
राजस्थान फार्मेसी कौंसिल,
जयपुर।

क्रमांक :आरपीसी / 2024 / 11078 दिनांक :– 30/07/2024

प्रतिलिपि –

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
2. श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, जयपुर।
3. अध्यक्ष, राजस्थान फार्मेसी कौंसिल, जयपुर को सूचनार्थ।
4. प्रबंधक गति टेक्नोलॉजी को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को कौंसिल की वैब साइट पर अपलोड करावे।
5. रक्षित पत्रावली।

(नरेन्द्र कुमार रैगर)
रजिस्ट्रार
राजस्थान फार्मेसी कौंसिल
जयपुर